## प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 08.05.2026

## #OPERATION CONVICTION

***इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 08.05.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।***

## थाना बसरेहर

**मा0 न्याया0 एडीजे /टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र प्रहलाद मल्लाह नि0 बहादुरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 56,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बसरेहर पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे /टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 56000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः-** थाना बसरेहर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की बहन के साथ घर पर अकेला पाकर बलात्कार करना व बताने पर मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनाँक **13.04.2023** को **मु0अ0सं042/2023 धारा 452/376/506भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **थानाध्यक्ष श्री बेचन कुमार सिंह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 संदीप कुमार व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.05.2026 को अन्तर्गत धारा **452/376/506भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में मा0 न्याया0 एडीजे /टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 56,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

**1. सौरभ कुमार पुत्र प्रहलाद मल्लाह नि0 बहादुरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा**